8/7/2020 पत्रावली आज वकील वादी के आवेदन पर पेशी में ली गई। ~~उपस्थित~~ वकील वादी ने आवेदन पेश कर निवेदन किया कि वादी अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः वादी का वाद "Not Press" में खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत आवेदन व पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वकील वादी के विवेक पर पत्रावली "No tPress" के फुलामिक खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

वाद आगे नहीं चलाना चाहते।

8-7-20

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर